राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/9/20	सरकार / देवीलाल 233/2019 आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 223 RTACT के सहायक कलक्टर मुख्यालय जयपुर के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसमे रेस्पो. मय अभिभाषक उपस्थित आये। जिन्होंने दिनांक 11/10/2019 को प्रारम्भिक आपत्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान समायत की गयी। अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21/03/1987 को पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष 32 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गयी है। अभिभाषक प्रार्थी ने हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर तहसीलदार जयपुर द्वारा दिनांक 04/12/1978 को प्रस्तुत जवाब वाद की ओर आकर्षित कराते हुये बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित वाद में निरन्तर उपस्थित रहे है एवं उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब वाद प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में दिनांक 21/03/1987 को निर्णय पारित किये जाने के पश्चात उसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसमे भी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर पक्षकार रही है। उक्त अपील का राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा दिनांक 13/02/1990 को अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21/03/1987 को आंशिक रूप से निरस्त फरमाये जाने का निर्णय पारित किया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा दिनांक 13/02/1990 को पारित उक्त निर्णय व डिक्री के विरुद्ध द्वितीय अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसमे अपने निर्णय दिनांक 02/09/1997 के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को ख़ारिज करते हुये अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा गया है। इस प्रकार पूर्व में लम्बित रहे वाद की समस्त अपीलीय स्तर पर अपीलार्थी पक्षकार रहे है। अतः अब अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने की कोई वजह नही बनती है। प्रार्थी द्वारा जो अपने प्रार्थना पत्र में वजह अंकित की गयी है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21/03/1987 के निर्णय पारित किये जाने के पश्चात सम्बन्धित अधिवक्ता द्वारा आगे कार्यवाही हेतु प्रकरण की पत्रावली को विभाग के भिजवाई गयी एवं सम्बन्धित अधिकारीयो द्वारा इस		

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/2/2019	सरकार / देवीलाल	

सम्बन्ध में आगामी कार्यवाही जारी रखी गयी परन्तु अन्य कार्य एवं राजकीय कार्यों में व्यस्तता के कारण उक्त प्रकरण की पत्रावली का अवलोकन नही किया जा सका एवं अभी हाल ही में उक्त प्रकरण की पत्रावली का अवलोकन करने पर उक्त निर्णय के विरुद्ध उक्त अपील प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया, जो एक बनावटी कहानी मियाद के सन्दर्भ में तथ्यों के विपरीत है क्युकी अपीलार्थी पूर्व में निर्णित अपील के हर स्तर पर उपस्थित रहे है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता प्रार्थी ने हमारा ध्यान दफा-11 जाप्ता दीवानी की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि चूँकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21/03/1987 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष पूर्व में प्रस्तुत अपील संख्या 40/1987 जिसमे अपीलार्थी भी पक्षकार निरन्तर रहे है का गुणावगुण पर निस्तारण दिनांक 13/02/1990 को किया जा चूका है एवं उसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत होने पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी अपील ख़ारिज करते हुये अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को बहाल रखा गया है। अतः यह न्यायालय धारा 11 जाप्ता दीवानी में उल्लेखित बाध्यकारी प्रावधान रेज्युड़ीकेटा से प्रतिबन्धित है एवं पुनः इस प्रकरण का निस्तारण नही कर सकती। अतः अपील अपीलार्थी ख़ारिज फरमाई जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी/अपीलार्थी ने अपनी जवाब बहस में मियाद के सम्बन्ध में निवेदन किया कि अपीलार्थी राज्य सरकार है एवं राज्य सरकार के कार्यालय द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लेने में एक लम्बी प्रक्रिया होने से विलम्ब हुआ है जिसे न्यायहित में एवं राज्यहित में क्षमा किया जाना चाहिये एवं अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाकर गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना चाहिये। अभिभाषक प्रार्थी की इसकी आपत्ति की अपील धारा-11 जाप्ता दीवानी के प्रावधान से प्रतिबन्धित है के सन्दर्भ में निवेदन किया कि वाद के लम्बित रहने से लेकर पूर्व में जितनी भी अपीले हुई है उनके अपीलार्थी एक प्रारूपिक पक्षकार थे जिनके विरुद्ध धारा-11 जाप्ता दीवानी का प्रतिबन्धित लागू नही होता। अतः मूल अपील में सुनवाई की जावे।

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। समस्त पत्रावलीयो के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाददायरी के पश्चात अपीलार्थी द्वारा वाद में जवाब वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
233/2019	सरकार / देवीलाल	

प्रस्तुत किया गया है एवं वाद में निर्णय के पश्चात हुई विभिन्न न्यायालयों में लम्बित रही अपीलों में वे निरन्तर पक्षकार रहे है। ऐसमे यह तथ्य तो कतई स्वीकार नही है कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही रही हो। न ही अपने प्रार्थना पत्र में इस बिन्दु पर अपीलार्थी द्वारा कोई उल्लेख किया गया है। अभिभाषक अप्रार्थी/अपीलार्थी के अपने दफा-5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया जाना की "प्रकरण की पत्रावली को विभाग में भिजवाया गया एवं सम्बन्धित अधिकारियो द्वारा इस सन्दर्भ में आगामी कार्यवाही जारी रखी गयी परन्तु अन्य कार्यो एवं राजकीय कार्यो में व्यस्तता के कारण पत्रावली का अवलोकन नही किया जा सका।" इस कथन से अपीलार्थी मियाद हेतु कोई लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नही बनते। मियाद हेतु स्पष्ट रूप से प्रत्येक दिन विलम्ब का कारण अपीलार्थी को दर्शाया जाना आवश्यक होता है। अतः अपील अपीलार्थी मियाद बाहर प्रस्तुत होना ही धारित किया जावेगा। इसके अतिरिक्त जो अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पो. द्वारा धारा 11 जाप्ता दीवानी में दिये गये प्रावधान रेस्ज्युड़ीकेटा का सम्बन्ध है, उसमे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि यदि कोई न्यायालय उनके समक्ष लम्बित प्रकरण के समान पक्षकारान एवं समान तथ्य पर पूर्व में गुणावगुण पर निर्णय पारित कर चूका है तो उन्ही पक्षकारान के मध्य या उनमे से किसी भी पक्षकार के द्वारा पुनः उन्ही तथ्यों पर आधारित समान पक्षकार के विरुद्ध प्रस्तुत अपील का पुनः निस्तारण नही कर सकते।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित दोनों कारणों से एवं मुख्य रूप से धारा-11 जाप्ता दीवानी के प्रावधान रेस्ज्युड़ीकेटा से यह न्यायालय बाध्य होने से अपील का पुनः सुनवाई का अधिकार नही होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 04/9/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर